



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022022-233257
CG-DL-E-09022022-233257

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 523]
No. 523]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 9, 2022/माघ 20, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 2022/MAGHA 20, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2022

का.आ. 542(अ).—अनुसार 3 (अ) राजपत्र अधिसूचना का.आ. 3813 जो कि दिनांक 31.07.2018 को प्रकाशित की गई है जिसमें एक गांव लोहड़काड जंगल जो कि भू-अधिग्रहण प्राधिकरण अधिकारी नादौन के अन्तर्गत आता है, के नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख अनुसार डी.पी.एफ लोहारकड की जाति है।

अनुसार 3 (अ) राजपत्र अधिसूचना का.आ. 3813 जो कि दिनांक 31.07.2018 को प्रकाशित की गई है जिसमें कुल 21 गांवों में से एक गांव लोहारकड जंगल जो कि भू-अधिग्रहण प्राधिकरण अधिकारी नादौन के अन्तर्गत आता है, की दुरुस्ती अनुसार राजस्व अभिलेख डी.पी.एफ लोहारकड के नाम से की जानी है।

[फा. सं. 11014/10/2018/PIU-HMR/3/Corr]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2022

S.O. 542 (E).—As per the 3(a) Gazette notification S.O. 3813(E) published on 31st July 2018, name of one village Lohadkad Jungle (20/21) under CALA Nadaun is being corrected to D.P.F. Loharkar (20/21) as per the revenue records as intimated by CALA.

As per the 3(a) Gazette notification S.O. 3813(E) published on 31st July 2018, one village name i.e Lohadkad Jungle (20/21) out of 21 villages under CALA Nadaun is to be corrected to D.P.F. Loharkar (20/21) as per the actual revenue records as intimated by CALA.

[F. No. 11014/10/2018/PIU-HMR/3/Corr]

RAJESH GUPTA, Director